

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1
संख्या-63/2016/159मु0मं0/37-1-2016-2(3)/2013
लखनऊ, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016
कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-1658/37-1-2016-2(3)/2013, दिनांक 17 जून, 2016 द्वारा
चौधरी साहब सिंह पुत्र स्व0 सूरत सिंह, निवासी ग्राम बाघू संतोपुर, पोस्ट खास, तहसील व
जिला बागपत को एक वर्ष के लिये पशुधन विभाग में सलाहकार नामित किया गया था।

2- उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 17 जून, 2016 को एतद्वारा निरस्त करते हुए चौधरी
साहब सिंह के स्थान पर हाजी मोहम्मद अनवर खान, निवासी पठान हाऊस, नाजिरपुरा,
जनपद बहराइच को एक वर्ष के लिये पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश का सलाहकार नामित
किया जाता है।

राहुल सिंह,
विशेष सचिव

संख्या-63/2016/159मु0मं0(1)/37-1-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- हाजी मोहम्मद अनवर खान, निवासी पठान हाऊस, नाजिरपुरा, जनपद बहराइच।
- 2- चौधरी साहब सिंह पुत्र स्व0 सूरत सिंह, निवासी ग्राम बाघू संतोपुर, पोस्ट खास,
तहसील व जिला बागपत।
- 3- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- कृषि उत्पादन आयुक्त, ३०प्र० शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी, ३०प्र० शासन।
- 6- विशेष सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी, ३०प्र० शासन।
- 7- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, ३०प्र० शासन।
- 8- प्रमुख सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, ३०प्र० शासन।
- 9- निजी सचिव, मा० पशुधन मंत्री को मा० मंत्री जी के अवगतार्थ।
- 10- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, ३०प्र०, लखनऊ।
- 11- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, ३०प्र०, लखनऊ।
- 12- गोपन अनुभाग-1
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राहुल सिंह,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadेश.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।